


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

28/10/25

वकील साग्रलान उप. प्रकटा से संबंधित मूल  
वाद अंतिम डिक्ली किया जा चुका। मूल वाद के  
अभाव प्रार्थना पत्र चलाने का कोई औचित्य  
नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर  
धारित किया जाता है। पत्रावली फौजदारी मुकाम  
होकर नंबर से कम है। मूल वाद के साथ  
संलग्न रहे।

  
उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज.)

नम्बर व  
अहकाम  
हुक्म को  
में जा